

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री समदरसिंह भाटी (आर.ए.एस.)
अनवान

अन्तिम डिक्री

वादीगण

1 फूसाराम 2 धर्माराम 3 पूनमाराम
पिसरान तेजाराम जाति जाट निवासी
सरणू चिमनजी तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर।

दावा बाबत 88, 91 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 76/2023

निर्णय दिनांक :- 26/12/23

प्रतिवादीगण

1 तेजाराम पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी
सरणू चिमनजी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर 2 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

26/12/23 वकील वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख
को श्री समदरसिंह भाटी, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष
अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार
दी जाती है कि:-

वादीगण का वाद माफिक जवाब दावा स्वीकार किया जाकर मौजा सरणू चिमनजी
पटवार क्षेत्र सरणू तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 192/110 रकबा
0.0081 हैक्टेयर, खसरा संख्या 341/110 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, खसरा संख्या 342/125
रकबा 1.1817 हैक्टेयर, खसरा संख्या 344/123 रकबा 2.2096 हैक्टेयर, खसरा संख्या
348/155 रकबा 1.1169 हैक्टेयर व खसरा संख्या 350/155 रकबा 1.7482 हैक्टेयर भूमि में
वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया
जाता है। अतः तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा
पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 26/12/23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा
लगाकर दी गई।

समदरसिंह भाटी
(समदरसिंह भाटी)
पीठासन अधिकारी
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक), बाड़मेर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
	जोड़		जोड़